कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वनप्रभाग, मसूरी।

पत्रांक :1543 / अधि0अभि0 / सौं0बॉ0परि0 / 2019, दिनांक 18/11/2019

विषय – जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग बॉध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत–65.0467है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु अवस्थापना (पुनर्वास),खण्ड, ऋषिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

संदर्भ – आपके कार्यलय का पत्रांक 1245 / 12–1, मसूरी दिनांक 24.09.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में पाई गई कमियों का उल्लेख किया गया है। आपके द्वारा उल्लेखित कमियों का निस्तारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कराया जा चूका है तथा यथा उल्लेखित प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिये गए है तथा आपके सुलभ संदर्भ हेतु सम्बन्धित प्रपत्रों की प्रतिया पत्र के साथ संल्गन कर प्रेषित की जा रही है।

आपके द्वारा उल्लेखित कमियों का बिन्दूवार निस्तारण निम्न प्रकार किया गया है :–

क्र.स.	कमियॉ	निस्तारण
1	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित जिलास्तरीय, उपखण्ड स्तरीय (समस्त) अनापत्ती प्रमाण पत्रों को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारीयों / जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी तथा ग्राम प्रधानों के समुहर हस्ताक्षर करा कर प्रस्ताव में यथा स्थान चस्पा किया जाये साथ ही ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा K(a) में उक्तानुसार समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किये जाये। आपके स्तर से जिला स्तरीय में मात्र जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा समुहर हस्ताक्षर प्रपत्र 30 तथा ग्राम घुड़साल, ग्राम रगड़गॉव एवं ग्राम थेवा के अनापत्ति प्रमाण पत्र ही प्रस्ताव में चस्पा तथा ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग 1 के पैरा K(a) में अपलोड किये गये है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित जिलास्तरीय, उपखण्ड स्तरीय (समस्त) अनापत्ती प्रमाण पत्रों को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारीयों / जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी तथा ग्राम प्रधानों के समुहर हस्ताक्षर करा कर प्रस्ताव में यथा स्थान चस्पा कर दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा K(a) में उक्तानुसार समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए गये है।

2	प्रस्ताव में चस्पा की गई समस्त छायाप्रतिया सहायक अभियन्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई है।	सम्बन्धित आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
3	ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा D(i) में परियोजना की जस्टीफीकेशन को अपलोड किया जाना है। आपके स्तर से प्रपत्र 13(b) के साथ अन्य प्रपत्र भी अपलोड किये गये है, जिन्हें हटा कर मात्र जस्टीफीकेशन को ही अपलोड किया जाना है।	सम्बन्धित आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
4	ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग–1 के पैरा L(g) एवं (h) आपके द्वारा अन्य प्रपत्र अपलोड किये गये कृपया ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग 1 के पैरा L(g) एवं (h) में संगत दस्तावेज/प्रमाण पत्र यथास्थान अपलोड किये जाये।	सम्बन्धित पैरा L(g) एवं (h) में संगत दस्तावेज/प्रमाण पत्र यथास्थान अपलोड कर दिये गये है।

उपरोक्त कमियों के निराकरण के साथ ही आपके कार्यलय के पत्र संख्या 3845/12–1, दिनांक 07.06.2019 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 से 6 तथा ऑनलाइन प्रस्ताव में बताई गई कमियों का बिन्दुवार निराकरण किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश।

पत्रांक: 1543 /अधि० अभि० /सी० वॉ परि० /2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्न को उक्त विषयक पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी टिहरी गढवाल।
4. प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश।